तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज भगवानाराम बनाम हरदासराम इत्यादि मुकदमा नंबर 90/2018	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.01.2023	पत्रावली प्रार्थना पत्र वास्ते अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज करने हेतु पर आदेश हेत पेश हुई। वकुलाय उपस्थित उभय पक्ष के अधिवक्तागण की पूर्व में बहस सुनी जा चुकी है। वकील रेस्पोडेंट्स ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त अपील जिस निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, उस निर्णय के विरूद्ध पूर्व में माननीय न्यायालय में अपील संख्या 83/2010 प्रस्तुत होकर दिनांक 17.05.2012 को निर्णित हो चुकी है, जिसमें वर्तमान अपीलार्थी भी पक्षकार रेस्पोडेंट था, इसलिए उसकी यह अपील पोषणीय नहीं है। अंत में वकील रेस्पोडेंट ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं हस्तगत अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमायी जावे। रेस्पोडेंट संख्या 18 के अधिवक्ता ने रेस्पोडेंट संख्या 1/1 के अधिवक्ता के कथनों का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध पूर्व में प्रस्तुत अपील निस्तारित हो चुकी है तथा वर्तमान में माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष विचाराधीन है। अपीलांट के अधिवक्ता ने रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि पूर्व अपील अपीलांट की अनुपस्थिति में निर्णित हुई है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे एवं अपील का गुणावगुण पर निर्णय किया जावे। उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख निर्णय प्रति दिनांक 17 मई 2012 के अवलोकन मुताबिक अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 अगस्त 2008 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 83/2010 अनवान अर्जुनराम बनाम हरदासराम इत्यादि का निस्तारण किया जा चुका है, जिसकी अपील वकील रेस्पोडेंट के कथनानुसार माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन है। इसलिए समान आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत पोषणीय नही है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र वास्ते अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज करने हेतु स्वीकार किया जाता है तथा समान निर्णय एवं डिक्री की अपील पोषणीय नहीं होने से अपील संख्या 83/2010 अनवान अर्जुनराम बनाम हरदासराम इत्यादि के अनुसरण में खारिज की जाती है। अपीलांट को हिदायत है कि वह माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन अपील में चाराजोही करे। अधीनस्थ न्यायालय को सूचनार्थ आदेश प्रति भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर